



294/1

पुराण- 2206709

2206710

नगरीय विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत, जलनक 220601

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-आगरा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
देना बैंक	072410027581	IFSC Code BKIDIN0720724	456.567

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड न० 24 टेढ़ी बगिया (उदय नगर गरिजद) में श्री गुन्ना बघेल के कोने से अनीस खों एवं संजय खों तक, सोबरन सिंह से सूरजपाल तक, सूरजपाल से बहाबुउद्दीन तक, मोहिनउद्दीन खों से मजिद तक, साहबुद्दीन खों से मुन्ना बघेल तक, जबरुद्दीन से टेलर मास्टर दुर्गपाल एवं मौ० इकबाल से अनीस खों एवं संजय खों तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	62.386
2	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	मौ० शिवाकुन्ज में पी०एम० स्कूल से किशोर कुमार तक, सलीम से सुरेश दिवाकर तक, अगकर से सुधीर तक, सतीश से केशव तक, हाजी निजाम के सामने से पी०पी० नगर पुलिया तक, हाजी निजाम से मौ०हम्मद खालिद, कल्पना बघेल वाली गली, इमरान से महेन्द्र, महेन्द्र से संजय एवं मन्दिर से रेनु वकील तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	47.559
3	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड न० 03 करबला में अफसान से मौ० लियाकत, मौ० लियाकत सूमाल तक, निजारा से चानू तक, निरारुद्दीन से खालिद तक, लाल हुजरा चौक से आवास विकास पुलिया तक, शरीफ से शेर भेस वाले तक, शेर भेस वाले से राजू मूलचन्द तक, इरफान से लश्कर कालोनी खडन्जा तक, अब्दुल सलाम से जगनपुर नाले तक गहरी नाली निर्माण एवं टीटू के मकान से मुगल रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	63.462
4	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	नगला प्यारेलाल नई आबादी में शिल्पग्राम मुख्य मार्ग से भारतीय बाल स्कूल तक, मुजाइद्दीन खों से भारतीय बाल मन्दिर स्कूल तक, रमेशजी वाली गली एवं गिरधारी लाल वाली गली तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.899



294/2

दस्तावेज- 2206709

2206710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किरत की धनराशि का प्रेषण
5	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	बौध का उखर्रा, छोटा उखर्रा में मुख्य सी०र०ी० मार्ग से सीताराम, राज कुशवाह से इसुबखान तक, वेद प्रकाश से तिल्लू वाल्मीकि, नरेश वाल्मीकि से राजा वाल्मीकि, राजा से वेद प्रकाश, शान्ती फार्म के सामने वाली गली, बनवारी के मकान से मुरारीतक, मुरारी से राजू, हाकिम सिंह से विजेन्द्र, रामजीलाल से धन सिंह, रूप सिंह के बगल वाली गली, हरी सिंह से प्राइमरी पाठशाला, मन्दिर से महेन्द्र सिंह, कुँआ से हरीचन्द्र, महेन्द्र सिंह से रामेश्वर, अतरो से निहालो, आशुराम से परम प्रधान, ज्वाला प्रसाद से गोदन सिंह, मान सिंह से चरगोली, निरपत्ता सिंह वाली गली, उदयपाल सिंह से नरेन्द्र पाण्डेय, विजय सिंह से राज कुमार राजपूत, देवी सिंह से ताराचन्द्र, निहाल सिंह से मान सिंह, शिव मन्दिर से सुभेर सिंह तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	66.394
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड संख्या 72 में नगला टीन की वाल्मीकि बस्ती में वीरू के घर से कृपाल सिंह तक, कृपाल सिंह से सामुदायिक केन्द्र तक, बाबू वाल्मीकि से ओमी तक, ओमी से किरान तक, श्याम पहलावान से गोपीचन्द्र, शिल्पग्राम मुख्य मार्ग से भागीरथ स्कूल तक, शिल्पग्राम मुख्य मार्ग धी भण्डार से गौ० आरिफ तक एवं जालमा बाउन्ड्री के किनारे वाल्मीकि बस्ती में पूरन से मंगल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.251
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड सं० 72 नगला डीम में सत्यप्रकाश लोधी से लीलाघाट तक, किशोर से दिनेश कुम्हार तक, राजू के मकान से चकलेश्वर महादेव मन्दिर तक, चकलेश्वर महोदय मन्दिर रोजेन्द्र तक, महावीर सिंह नाई से राज कुमार तक, प्रयाम सिंह यादव से राजवीर सिंह तक, राजवीर सिंह से उच्चागर सिंह तक एवं मनोज से मिजाजी लाल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.244
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	नगला पट्टी में श्री राम दयाल से भीम बाटिका, विनोद से प्रताप, रामबाबू वाली गली एवं बसन्त वाली गली में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	22.109
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	कक्केठा में श्री राम नरायन से विजय किशोर, विजय किशोर से सुन्दर सिंह, राज कुमार से रामपाल, राकेश से सुभाषचन्द्र, शिवा से मन्दिर, लाखन सिंह से दौलतराम, बलवीर से प्रेमपाल एवं सोहनलाल से भगवानदास तक मे नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.939
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	मैलाना में माता स्टोर से जगदीश दिवाकर, राजन सिंह से धारिया, धारिया से मुन्ना, भोलेबाबा से अलवर, जय प्रकाश से माखन, मुरारी से धीरज, गंगा सिंह से गौशाला, बनखण्डी मन्दिर से पुलिया, आटा चक्की से प्रोविज्जन स्टोर एवं कुँए से पप्पू तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	49.778
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	जौशियान गौहल्ला वाल्मीकि बस्ती में श्री वृजगोहन से चन्द्रमान, कमल के घर से स्टोर तक, राधेलाल के घर से	38.546



294/3

दस्तावेज- 2266709

2266710

नव बेलगा रोड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किरत की धनराशि का प्रेषण
				सिंह स्टोर तक, कमल के घर से राधेलाल के घर तक अनिल के घर से कपूरचन्द के घर तक, अमित के घर से अनिल के घर तक, अमित वाली गली में, पुरुषोत्तम के घर से अमित के घर तक, प्रमोदखाल वाली गली, कुन्दन लाल वाली गली, चन्द्राल के घर से पुरुषोत्तम के घर तक, चन्दलाल के घर से पप्पन के घर तक, पप्पन के घर से नाले तक, मुकेश के घर से बीघाराम के घर तक, हीरालाल वाली गली, मुकेश के घर हैण्डपम्प तक, मुकेश के घर से रमेश के घर तक, चन्द्रशेखर वाली गली, चौक पप्पन के घर से बन्दीप्रसाद के घर तक एवं अन्य गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	
	योग				456.567

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से रागन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर रक्षान स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदारथ की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि ढुंढा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में श्रुतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

W



294/4

दूरनाम - 2286700

2286710

नव योजना केन्द्र, 10 असाक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरागृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अपमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकें गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अपि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक